कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध मण्डल की 35वीं (विशेष) बैठक दिनांक 04.10.2018

कार्यवृत

प्रबन्ध मण्डल की **35वीं** (विशेष) बैठक दिनांक **04.10.2018** को दोपहर 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित कुलपति सचिवालय में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

प्रो0 नीलिमा सिंह — अध्यक्ष
माननीया कुलपति महोदया,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2 **डॉ. कृष्णा रानी** — सदस्य
नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर

3. **प्रो. मदन सिंह राठौड़** — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्

4. **डॉ0 एन. एल. गुप्ता** — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य

5. **प्रो0 एन.के. जैमन** — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता

6. **प्रो0 आशु रानी** — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

7. **प्रो0 रीना दाधीच** — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

8. **डॉ. रफीक मोहम्मद कुरेशी** — सदस्य
प्राचार्य, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय, कोटा
राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय महाविद्यालय, प्राचार्य

9. **डॉ. हुकुम चन्द जैन** — सदस्य
प्राचार्य, अकलंक पी.जी. महाविद्यालय, कोटा
राज्य सरकार द्वारा नामित निजी महाविद्यालय, प्राचार्य

10. **डॉ0 संदीप सिंह चौहान** — सदस्य सचिव
कुलसचिव

संदीप चौहान

संभागीय आयुक्त, नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर; आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; प्रो. जॉन वर्गीस, कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य; प्रो. अरविन्द कुमार, कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य तथा श्री संदीप शर्मा, माननीय विधायक, कोटा–दक्षिण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय विधायक महोदय, (कोटा उत्तर) एवं प्रबन्ध मण्डल सदस्य भी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके किन्तु माननीय विधायक महोदय द्वारा उनके पत्र क्रमांक D.605 दिनांक 03.10.2018 के द्वारा इस प्रबन्ध मण्डल बैठक के मुख्य एजेण्डे के संबंध मे अपनी राय से माननीया कुलपति महोदया को अवगत कराया। माननीय विधायक महोदय की उक्त राय से मुख्य एजेण्डे पर चर्चा उपरान्त प्रबन्ध मण्डल को भी अवगत कराया गया।

बैठक प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदया एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने प्रो. नीलिमा सिंह, माननीया कुलपति महोदया का प्रबन्ध मण्डल में उनकी प्रथम उपस्थिति पर स्वागत करते हुये अभिनंदन किया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गयें :–

मद संख्या–1	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनाँक 24.07.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की 34वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–2	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनाँक 24.07.2018 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.07.2018 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन को निम्नांकित सुझावों/टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया :– मद सं. 03 के अन्तर्गत प्रो. एन.के. जैमन, सदस्य, प्रबन्ध मण्डल ने सुझाव दिया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के विनियम/अधिनियम कोटा विश्वविद्यालय में लागू होने की स्थिति में वहां के बजट कलेण्डर का कोटा विश्वविद्यालय में भी अक्षरशः पालना की जावे। गत् 03 वर्षों में विश्वविद्यालय में निर्धारित बजट का मात्र 10 प्रतिशत् व्यय हुआ। इसको देखते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट के अनुसार चरणबद्ध रूप से खर्च किये जावे। इसके लिए एक प्रणाली (Mechanism) विकसित की जावें जिसका सतत् विश्लेषण/समीक्षा भी आवश्यक रूप से किया जावे। माननीय सदस्यों ने उपरोक्त सुझावों को पारित किया। प्रो. एन.के. जैमन, सदस्य, प्रबन्ध मण्डल ने अवगत कराया कि दिनांक 15.03.2018 की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में पारित हुआ निर्णय कि कोटा विश्वविद्यालय के अतिथि–गृह में 02 पद/व्यक्तियों की सेवाऐं प्लसेमेंट एजेंसी के माध्यम से लिये जाने की पालना अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में कुलसचिव द्वारा शीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे। प्रो. मदन सिंह राठौर, सदस्य, प्रबन्ध मण्डल ने दिनांक 24.07.2018 की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में डॉ. प्रवीण गोयल, उपकुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय. कोटा के निलंबन के आदेशों को बहाल किये जाने संबंधी प्रकरण में सदन को सुझाव दिया कि उक्त प्रकरण का न्यायालय के स्तर पर निस्तारण होने तक डॉ. गोयल को विश्वविद्यालय में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार यथा सम्बद्धता, प्रशासन इत्यादि नहीं दिये जाये, जिस पर सदन ने सहमति प्रकट की।

संदीप चौहान

मद संख्या–3	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा वर्ष 2013 के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के विषय में विधान सभा में माननीय विधायक श्री हीरालाल नागर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कार्यवाही के संबंध में राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 7430 दिनांक 14.09.2018 के साथ प्राप्त संलग्नकों में उल्लेखित, इस विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 में नियुक्त जिन 02 कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्यवाही चाही गयी, से सम्बन्धित प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उचित कार्यवाही/मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है (राजभवन से प्राप्त पत्र की छायाप्रति मय् संलग्नकों के संलग्न है) :–**
निर्णय	:	चूंकि यह प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तथा न्यायालय का अंतिम निर्णय प्राप्त होने तक प्रबंध मंडल की राय में किसी प्रकार की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं होगा। प्रबंध मंडल ने एकमत से इस प्रकरण के संदर्भ में विश्वविद्यालय को विधिक राय लेने के लिये निर्देशित किया।
मद संख्या–4	:	**अन्य बिन्दु, आसन की अनुमति से।** **1. राज्य सरकार से पत्र क्रमांक एफ.1(4)शिक्षा–4/2016 दिनांक 01.10.2018 के द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों को संशोधित यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत करने के सम्बंध में।**
निर्णय	:	राज्य सरकार के नियमों के तहत् विश्वविद्यालय शिक्षकों को संशोधित यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत करने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

संदीप चौहान
(डॉ0 संदीप सिंह चौहान)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव